न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियॉं

ठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (रतनलाल रेगर आर ए एस)

जस्व वाद सख्या 209 / 2012

दीगण–

1. पुखसिह पुत्र श्री किशनसिह
2. माधूसिह पुत्र श्री प्रेमसिह
3. समन्दरसिह पुत्र श्री प्रेमसिह
4. हडमानसिह पुत्र श्री प्रेमसिह
5. मोहनसिह पुत्र श्री किशन सिह
6. रामसिह पुत्र श्री किशनसिह सभी जाति पुरोहित निवासी ग्राम भेसेर चावण्डियाली तहसील ओसियॉं जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण–

1. रामनिवास पुत्र श्री देवीलाल
2. सत्यनारायण पुत्र श्री देवीलाल
3. जयकिशन पुत्र श्री जीवराज
4. धनराज पुत्र श्री जीवराज जी फौत जिनके वारिसान

(1)पुनित पुत्र श्री धनराज

(2)मनीश पुत्र श्री धनराज

उपरोक्त सभी जाति–महाजन, निवासी ग्राम–मथानिया, तहसील ओसिया जिला जोधपुर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब ओसियॉं

दावा बाबत घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती एवम स्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण की ओर से :– अनुपस्थित एकपक्षीय कार्यवाही

वादीगण द्वारा उक्त अनवान का वादपत्र इस आशय का पेश किया तहसील ओसियाँ के ग्राम भैसेर चावण्डियाली की सरहद में खेत खसरा नम्बर 153 रकबा 8 बीघा 14 बिश्वा, खसरा नम्बर 152 रकबा 7 बिश्वा, खसरा नम्बर 169 रकबा 26 बीघा तथा खसरा नम्बर 173 रकबा 78 बीघा कुल रकबा 113 बीघा 16 बिश्वा भूमि वादी सख्या 1 व 5 6 के पिता तथा वादी सख्या दो से चार के दादा की खातेदारी की आयी हुई थी। जिसमें से वदी सख्या एक से पॉच व 6 के पिता एवम वादी सख्या 2 से 4 के दादा स्व. श्री किशनसिह पुत्र श्री इन्द्रसिह जी ने उक्त खसरान की भूमि में से खसरा नम्बर 173 रकबा 78 बीघा भूमि में से रास्ते के उगुण में स्थित खसरा नम्बर 173 रकबा 78 बीघा भूमि में से 13 बीघा 15 विश्वा भूमि के टुकडा स्वय अपने पास रखतें हुए उपरोक्त खसरान की भूमि का बेचान स्व. श्री जीवराज पुत्र श्री गोरधनजी एवम स्व श्री देवीलाल पुत्र श्री चैनीराम को दिनाक 06.06.1963 को बेचान कर दी लेकिन हल्का पटवारी द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरणकरण सख्या 48 के जरिये बेचान नही की हुई खसरा नम्बर 173 की रकबा 13 बीघा 15 बिश्वा भूमि का भी नामान्तकरणकरण खरीददार श्री जीवराज पुत्र श्री गोरधनराम देवीलाल पुत्र श्री चैनीराम के नाम भर दिया जिकसे परिणास्वरूप बेचानकर्ता श्री किशनसिह पुत्र इन्द्रसिह का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से पूर्ण रूप से हटा दिया गया जबकि खसरा नम्बर 173 की भूमि के मध्य चलने वाले रास्ते के उगुण की तरफ उपरोक्त खसरा नम्बर 173 की 13 बीघा 15 बिश्वा भूमि का बेचान बेचानकर्ता श्री किशनसिह द्वारा नही किया गया था वर्तमान में मूल खसरा नम्बर 173 का रकबा 13 बीघा 15 बिश्वा भूमि जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में आज दिन भी जीवराज पुत्र श्री गोरधनराम जी एव देवीलाल पुत्र श्री चैनीराम नाम दर्ज है जबकि यह भूमि श्री किशनसिह पुत्र श्री इन्द्रसिह के नाम दर्ज होनी चाहिए थी आज दिन भी इस भूमि पर श्री किशनसिह पुत्र श्री इन्द्रसिह जी के वारीसान वादीगण का कब्जा काश्त हैं एवम इन्हें खातेदारी अधिकार हासिल है। लेकिन हल्का पटवारी द्वारा उपरोक्त भूमि को म्यूटेशन बिना बेचान के जीवराज एवम देवीलाल के नाम दर्ज होने के परिणामस्वरूप जमाबन्दी में नाम आज भी इनके नाम दर्ज है जबकि उपरोक्त भूमिकी खातेदारी श्रीकिशनसिह के वारिसान वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए जिसके लिए यह वादपत्र पेश किया है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 13 बीघा 15 बिश्वा भूमि मै जीवराज वल्द गोरधनराम एवम देवीलाल वल्द श्री चैनीराम के नाम दर्ज है इन दोनो का देहान्त आज से लगभग 15 – 20 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा चूकि प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 जो देवीलाल एवम जीवराज के वारिसान है उक्त भूमि से इनका कोई सरोकार नही है। इसी कारणवश आज तक प्रतिवादी ने आज तक वादग्रस्त भूमि का नामान्तरणकरण अपने नाम नही करवाया क्योकि [illegible] वादीगण के खातेदारी की भूमि है तथा तत्कालीन खातेदार श्रीकिशनसिह वल्द श्री इन्द्रसिह [illegible] वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार हासिल रखते है। व आज दिन भी वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण ने हाल ही मे दिनाक 11.09.2012 को वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी व नक्शे कि नकल विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त की तब ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के स्थान पर प्रतिवादीगण सख्या एक ता चार के पूर्वज जीवराज व देवीलाल जी का नाम बतोर खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 173

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

रकबा 13 बीघा 15 बिश्वा भूमि की तरमीम कर हल्का पटवारी द्वारा लटठा टेस में उपरोक्त खसरान की भूमि का नम्बर 173/1 दर्ज कर दिया गया जबकि खसरा नम्बर 173/1 की भूमि वास्तविक रूप से खसरा नम्बर 173 की भूमि है। यानि लटठा टेस में हल्का पटवारी द्वारा भूलवश खसरा नम्बर 173 के स्थान पर खसरा नम्बर 173/1 दर्ज कर दिया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है लटठा टेस में अंकित खसरा नम्बर 173/1 की भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 13 बीघा 15 बिश्वा भूमि ही है। जहॉं पर आज दिन भी वादीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है तथा वादीगण की खातेदारी भूमि है जिसे वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायेचित है प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि से कोई सरोकार नही है प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में हल्का पटवारी की भूलवश दर्ज किया गया है उनके स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने हेतु यह दुरूस्ती का व घोषणा का वाद बरखिलाफ प्रतिवादीगण हमरा पेश है। लटठा टेस में उल्लेखित खसरा नम्बर 173 एवम 173/1 के मध्य स्थित लाल स्याही से अकित लाईन के पास मौजूदा समय में रास्ता चल रहा है इसी रास्ते के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 173 का रकबा 13 बीघा 15 बिश्वा भूमि स्थित है। अन्त में वादीगण द्वारा ईस्तुआ चाही कि डिकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमल की सादिर फरमायी जावे कि सरहद ग्रम भेसेर चावण्डियाली तहसील ओसियॉं में स्थित खसरा नम्बर 173 रकबा 13 बीघा 15 बिश्वा भूमि के खातेदार वादीगण को घोषित किया जावें तथा उक्त भूमि को हल्का पटवारी द्वारा तरमीम कर खसरा 173/1दर्ज कर दिया उसे दुरूस्त कर खसरा नमबर 173 दर्ज किये जाने की दुरूस्ती डिकी सादिर फरमायी जावे तथा लटठा टेस में खसरा नम्बन 173 के स्थान खसरा नमबर 173/1 व 173/2 दुरूस्त करने की डिकी सादिर फरमायी जावे व वादीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी की भी ईस्तुदआ चाही । वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में शपथपत्र पेश किया गया।

वादीगण के द्वारा उक्त वादपत्र की पत्रावली पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहे तो प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनॉक 12.11.2012 व 03.06.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा साक्ष्य वादी में मुकर्र रखी गई । वादीगण की ओर से गवाह श्री पुखसिह का साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया । तथा उक्त वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो को प्रदर्शित करवाया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई ।

अधिवक्ता वादीगण की ओर से बहस में वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के पूर्वज स्व श्रीकिशन द्वारा उक्त भूमि तथाकथित बेचाननामा के जरिये प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व श्री जीवराज व देवीलाल के पक्ष में बेचान निस्पादित किए । उक्त बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण सख्या 48 स्वीकार किया जाकर श्री [illegible] हटा दिया जबकि बेचाननामा के पृष्ट सख्या 01 व 02 पर अंकित किया कि **"खसरा सख्या 173 मे होकर महबूब खां रे [illegible] बेरा टेकिनसर में जावण रो मार्ग 08 फिट चोडो निकले जितनो राखियो है जिणमें कोई तरह री रोक रेसी नही ने आगे अगु[illegible]डे तीनो खसरो रे कणे कणे रास्तो बेहसी व इण बेरा रे अगुण में रास्ते रे अगुण 13.15 बीघा टुकडो है जिको मारे रेसी** । इस प्रकार से उक्त बेचाननामा में 13.15 बीघा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बेचानकर्ता ने अपने पास रखते हुए शेष भूमि का बेचान किया है तथा प्रतिवादीगण की ओर से उक्त बेचाननामा का कोई खण्डन नही है अत वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जावे।

उक्त वादपत्र के अवलोकन से एक ही विवाद्यक पैदा होता है कि

आया वादग्रस्त भूमि के खसरा सख्या 173 की भूमि में से 13.15 बीघा भूमि श्रीकिशन द्वारा अपने पास रखते हुए जीवराज व देवीलाल को बेचान की है।

उक्त विवाद्यक के निस्तारण हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज बेचाननामा दिनॉक 06.06.1963 का अवलोकन किया गया । जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बेचानकर्ता द्वारा उक्त भूमि अपने पास रखते हुए बेचान की है तथा नामान्तरकरण प्रदर्श पी 04 के जरिये उक्त बेचानकर्ता का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया गया है। इस प्रकार से उक्त तनकी का प्रतिवादीगण की ओर से कोई खण्डन नही होने से उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। अत उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत वादीगण का वादपत्र आंशिक तौर से स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा सख्या 173 रकबा 13 बीघा 15 बिश्वा भूमि का खातेकार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है । तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार तिवरी को तहरीर जारी हो।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

निर्णय आज दिनाक 21/10/19 को सरेईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:10 IST
Reason: SelfAttested

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेष 20 के नियम 06 और 07)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर।

राजस्व वाद सख्या 209/2012

वादीगण–

1. पुखसिह पुत्र श्री किषनसिह
2. माधूसिह पुत्र श्री प्रेमसिह
3. समन्दरसिह पुत्र श्री प्रेमसिह
4. हडमानसिह पुत्र श्री प्रेमसिह
5. मोहनसिह पुत्र श्री किषन सिह
6. रामसिह पुत्र श्री किषनसिह सभी जाति पुरोहित निवासी ग्राम भेसेर चावण्डियाली तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण–

1. रामनिवास पुत्र श्री देवीलाल
2. सत्यनारायण पुत्र श्री देवीलाल
3. जयकिषन पुत्र श्री जीवराज
4. धनराज पुत्र श्री जीवराज जी फौत जिनके वारिसान

   (1)पुनित पुत्र श्री धनराज

   (2)मनीष पुत्र श्री धनराज

   उपरोक्त सभी जाति–महाज[illegible] तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब ओसियाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:10 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती एवम स्थायी निषेधाज्ञा

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक :-

वादीगण की ओर से दिनेष मदेरणा प्रतिवादीगण अनुपस्थित एकपक्षीय कार्यवाही वादीगण का वादपत्र आंषिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 173 रकबा 13 बीघा 15 बिष्वा भूमि का खातेकार काष्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें ।

मेरे आज तारीख 21/10/19....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

रतनलाल रेगर
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वादपत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्षो के लिए स्टाम्प रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय कमिष्नर की फीस आदेषिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिष्नर की फीस	
जोड		जोड	

सहायक कलेक्टर, ओसिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner